न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./59/2024

1. मीरा पत्नी रामधन जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. रामधन पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. प्रेमी पत्नी दयाल जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. सांवरा पुत्र गोकल जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. उच्छबा पुत्री लादूराम जाति बैरवा निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. जीवण पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी बालापुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. मुकेश शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एम0एल0डी0 स्कुल, पटेल मेदान के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला केकड़ी
6. विष्णुकान्ता पत्नी मुकेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एम0एल0डी0 स्कुल, पटेल मेदान के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला केकड़ी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः—19.06.2024

उपस्थितः— 1. वकील प्रार्थी— श्री शम्मी मोहम्मद
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बालापुरा पटवार क्षेत्र बालापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 121 में दर्ज खसरा नं. 695 रकबा 0.84 कुल किता 01 कुल रकबा 0.84 हैक्ट** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 06 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 07 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 की नियमानुसार तलबी होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगणों के पत्रावली में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकोर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम अमरगढ़ के खाता संख्या 121 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बालापुरा पटवार क्षेत्र बालापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 121 में दर्ज खसरा नं. 695 रकबा 0.84 कुल किता 01 कुल रकबा 0.84 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)